Volume-7, No. 1 Feb.-2020, pp. Hin.33-36

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिकाः बेरोजगारी एवं गरीबी के उन्मूलन के संदर्भ में

श्री रविन्द्र कुमार, शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
मलिकपुरा पी0जी0 कॉलिज, मलिकपुरा, गाजीपुर (उ0प्र0) भारत।
डॉ0 बाल गोविन्द सिंह, शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग
मलिकपुरा पी0जी0 कॉलिज,मलिकपुरा, गाजीपुर (उ0प्र0) भारत।

सारांश–
भारतीय मानव सभ्यता प्राचीन–विश्व की सभ्यताओं में से एक है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक की स्थिरता का प्रमाण मिलता है, अर्थात् लोगों द्वारा समुदाय में बुनियादी सुविधाओं के साथ प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में रहना प्रमाणिक है, वहीं स्थानीय स्तर पर आर्थिक ढांचे में कुटीर उद्योग एवं ऋण उपलब्ध कराने हेतु जमींदार एवं साहूकार की मौजूदी थी। यही सभ्यता विकास का प्रचलन आज भी बुनियादी आर्थिक स्तरता पर दिखाई देता है, परन्तु आज आधुनिक वैधानिक ढंग से ग्रामीण बैंक सहित अनेकों सरकारी व गैर सरकारी व्यवस्थाएं है जो कि कुटीर उद्योग सहित दस्तकार व हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त गरीबी व बेरोजगार की समस्या का समाधान ढूंढ रही है। क्योंकि वर्तमान भारत की लगभग 70 फीसदी आबादी ग्रामीण अंचल में निवास करती है।

मुख्य शब्द–ग्रामीण विकास, ग्रामीण बैंक, वैश्विकरण एवं निजीकरण नीति, गांधीवादी दृष्टिकोण।

समस्या प्रस्तावना–

भारतीय जनगणना सांख्यिकीय आंकड़ों (2011) के अनुसार भारत विश्व का सबसे युवा देश है। अर्थात् भारत में जनांकिकी लाभांश 60 फीसदी के आसपास है जिसका तात्पर्य है कि भारत के 60 करोड़ लोग 18 से 60 वर्ष की उम्र के है, जो कार्यदक्षता के अनुसार कार्य (आर्थिक उपार्जन) कर सकते है। अतः किसी अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी भूमि सम्पदा व मानव संसाधन (श्रम शक्ति) तीनों निकाय अति आवश्यक है। किन्तु प्रश्न यह है कि निवेशित पूंजी एवं उपलब्ध औद्योगिक भूमि सम्पदा की उर्वरता कितनी है, क्योंकि जनाकिंकी लाभांश या मानव संसाधन का निश्चित व दक्षात्मक उपयोग तभी संभव है जब पूंजी व भूमि सम्पदा का उपयोग संभव हो। विश्व भर में चीन (साम्यवादी शासन व्यवस्था) ने अर्थव्यवस्था के तीनों काम्पोनेंट का सही ढंग से उपयोग किया है, जिसमें उसने 70 के दशक से ही विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्रियान्वयन अपनी आर्थिक नीतियों में किया, साथ ही चीन शासन वैश्वीकरण एवं निजीकरण की नीति पर प्रभावी रूप से कार्य किया। किन्तु भारत ने 1990 के दशक में निजीकरण एवं वैश्विककरण की नीति को क्रियान्वित किया। जिसमें सर्वप्रथम लाइसेंस प्रणाली को रद्द किया गया एवं बैंकिग व्यवस्था में नियमित सुधार किये गये। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आसान शर्तें पर अपने संस्थान स्थापित कर सकें एवं बैंकिग प्रणाली में सुधार निवेशित राशि की उपलब्धता (विस्तृत, कुटीर एवं लघु उद्योगों) निश्चित हो सके। 1990 के निजीकरण, वैश्विकरण एवं उदारीकरण के प्रभावों ने देश की चौतरफा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला। जिससे भारत में बढ़ रही बेरोजगारी, बेकारी के साथ–साथ सूचना तकनीक एवं मेडिकल/चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 21वीं शताब्दी के शुरूआती वर्षों में भारत सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ जनमानस में पूंजी की उपलब्धता के लिए कुटीर एवं सूक्ष्म बैंकों व ग्रामीण अंचलों के आधार पर बैंकों का विकास किया गया। जिसके केन्द्र में ग्रामीण व क्षेत्र के अलग–अलग अंचलों में बढ़ रही गरीबी एवं बेकारी को नियंत्रित करना था।

ग्रामीण अंचलों में बैंकिग व्यवस्था–

प्राचीन भारतीय व्यवस्था के समय से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग पर आधारित थी। जिसमें ग्रामीण अंचलों की क्षेत्रों जरूरतों के आधार पर मांग–आपूर्ति को निश्चित किया जाता था। जिसका आधार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, परन्तु वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का युग भी इसकी प्रासंगिकता से अछूता नहीं है। किन्तु अनियमित वित्त प्रणाली

(साहूकार, भ्रष्टाचार एवं लालफिताशाही) ने इस व्यवस्था हमेशा संघर्ष में रखा। क्योंकि भारत में सूक्ष्म एवं ग्रामीण स्तर पर बैंकिग व्यवस्था के ना होने से साहूकार, ग्रामीण स्तर पर जमींदार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगे जनमानस का गलत ढंग से उपयोग किया एवं वैधानिक ग्रामीण व्यवस्था विकसित होने के बाद इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार एवं लालफिताशाही ने घेर लिया।

अतः मूलतः प्रसिद्ध शोध प्रश्न में गरीबी एवं बेरोजगारी के दुश्चक्र से निकलने के क्षेत्रीय आधारित वित्त संस्थानों को समस्या समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि आज भारत युवाओं का देश माना जा रहा है अर्थात् भारत में 60 प्रतिशत जनाकिंकी लाभांश है। जिसका लाभ भारत की अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु अर्थव्यवस्था में एक प्रभावी संस्थागत ढांचा का अभाव इस जनाकिंकी लाभांश में प्रमुख अवरोध है। हालांकि भारत में अर्थव्यवस्था के समाजवादी ढांचे को निश्चित करने का प्रयास किया गया क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी दृष्टिकोण से अलग एक ओर दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था में लगा, जिसे गांधीवादी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें अर्थव्यवस्था को लघु सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों के रूप में एवं राजनीतिक व्यवस्था में ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की। जिसे बाद में, पंचायती व नगर पंचायत के लिए भारतीय संसद ने स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं अर्थव्यवस्था को समाजवादी एवं ग्रामीण स्तर पर प्रभावी करने के लिए, 1969 में तत्कालिन सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया वहीं 1970 में, ग्रामीण बैंकों को अधिनियमित कर, नाबार्ड जैसे संस्थान के द्वारा वित्त प्रबंधन को प्रोत्साहित किया गया एवं 1990 के दशक में तत्काल संघ सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के लिए खोल दिया। जिसमें वित्तीय प्रबंध एवं औद्योगिक नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया।

वैधानिक स्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिग अधिनियम 1976, के माध्यम से अपनाये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा में, रियायती दरों पर ऋण, साख सुविधा में कमी, परम्परागत ऋण वास्तव में कमी, ग्रामीण बचत में वृद्धि, शहरी मुद्रा, बाजार एवं ऋण के प्रवाह का अनुरूपक चैनल तैयार करना एवं रोजगार के अवसर के साथ–साथ कृषि अर्थव्यवस्था पर अनुरूपक प्रभाव डालना प्रमुख है। क्योंकि महात्मा गांधी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि **''भारत गांव में बसता है''** अर्थात् भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचल में बसती है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शासन सत्ता ने सैद्धांतिक तौर अनेकों सामाजिक, सकारात्मक न्याय के कदम उठाये, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर ये पहल सफेद हाथी साबित हुई। क्योंकि आज अधिकांश ग्रामीण आबादी अशिक्षा व जागरूकता के अभाव को ढो रही है। अर्थात् कैसे संभव है कि ग्रामीण स्तर पर या बुनियादी स्तर पर अर्थव्यवस्था देश के निर्माण में भागीदारी अदा करेगी। अतः देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण अंचलों में रहती है। जिसमें अधिकांश आबादी गरीब, बेकारी, बेरोजगारी एवं आधुनिक सामाजिक न्याय व कल्याणकारी पहलों से वंचित है। 26 सितंबर 1975 के अध्यादेश के परिपालन के लिए 2 अक्टूबर 1976 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जिसमें प्रत्येक ग्रामीण बैंक को अधिकृत पूंजी एक करोड़ एवं निगमित व चुकता पूंजी 25 लाख रुपये रखी गई। ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था में हिस्सेदारी संचालित बैंक, केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें 35:50:15 के अनुपातिक प्रतिशत में निश्चित किया गया। वर्तमान में देश में लगभग 15 हजार बैंक कार्यरत है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं ग्रामीण समुदाय–

मानव समुदाय के सतत् संपादित विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख योगदान है। जिससे पूरे मानव समुदाय को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ चिकित्सीय पदार्थों की उपलब्धता निश्चित होती है। किन्तु ग्रामीण अर्थव्यवस्था लगातार महाजनों व साहूकारों के ऋण ग्रस्ता आधारित जाल में फंसती रही है जिसके संदर्भ में शाही कृषि आयोग (1930) का कथन है कि ''भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पल–पोस कर बड़ा होता है और अपने आश्रितों के लिए भी ऋण छोड़कर जाता है।'' उक्त शाही आयोग का कथन आज भी प्रासंगिक है किन्तु वर्तमान में इसके आयाम बदल गये है, कि आज किसान अपने आश्रितों के लिए बेरोजगारी, बेकारी व गरीबी के साथ–साथ भूखमरी छोड़कर जाता है। वर्तमान कृषि अर्थव्यवस्था को प्रासंगिक बनाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण में भारतीय किसान की ऋण आवश्यकताओं के वायदे में ग्रामीण वित्त संस्थाओ के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी। जिसका प्रमुख केन्द्रीकृत लक्ष्य था कि खेतिहार मजदूरों, शिल्पकारों तथा सीमान्त किसान को धन की उपलब्धता के लिए संतोषजनक सुविधाये मुहैया कराना। जिसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1973–74 में 17000 आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय, 1975 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण बैंक, नाबार्ड की

स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा आदि के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह एवं महाजन व साहूकारों की चुंगल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छुड़ाने का लक्ष्य तय किया गया।

विश्लेषात्मक दृष्टि में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियान्वयन सुधारात्मक दृष्टि से अनेकों कमेटी व कमीशनों का गठन किया जिसमें नरसिम्हा कमेटी (1975), दाँतावाला समिति (1977), केलकर समिति (1976), खुसरों समिति (1989), नरसिम्हा समिति (1991), भण्डारी समिति (1994), शर्मा समिति (1998) आदि प्रमुख है। उक्त समिति द्वारा ग्रामीण अंचलों में ऋण प्रवाह को निश्चित करने एवं व्याप्त बेरोजगारी के साथ–साथ खाद्य आपूर्ति को प्रोत्साहित करने की अपनी रिपोर्ट एवं सिफारिशों में संकलित किया। उक्त सिफारिशों में केलकर समिति रिपोर्ट अधिक प्रभावी रही जिसमें ग्रामीण बैंकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए राशि में वृद्धि के साथ–साथ ऋण उपलब्धता की आसान शर्तों पर निगमित करने का प्रस्ताव रखा। अर्थात् केलकर समिति के आधार पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) एक्ट 1987 को मंजूरी दी गई। एवं शर्मा समिति (1998) की अनुशंसा पर नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक स्वायत बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठन करने की सिफारिश की गई क्योंकि बढ़ते भ्रष्टाचार एवं अनियमित ऋण प्रवाह पर निगरानी रखी जा सके। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की संकल्पन महात्मा गांधी एवं पं0 दीनदयाल उपाध्याय के दार्शनिक दृष्टिकोण का व्यवहारिक स्वरूप सिद्ध हुई अर्थात् देश के गरीब, पिछड़े, अशिक्षा व जानकारियों के अभाव ग्रहस्ति अंतिम व्यक्ति तक उसकी आत्मविश्वास के साथ आर्थिक सुरक्षा का स्तंभ निश्चितता हो सका है।

21वीं शताब्दी में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी व बेकारी के संदर्भ–

21वीं शताब्दी का युग सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी युग है एवं वैश्वीकरण के प्रभाव से भारत की भौगोलिक सीमाएं अछूती नहीं है। वही गरीब एवं भूखमरी व बेरोजगारी के स्तर पर तीसरी दुनिया ने विजय प्राप्ति की है। वही इन सामाजिक समस्याओं के आयाम बदल रहे है जिसमें गिग–ईक्रोनोमिक्स जैसे शब्दों से चिंता ओर बढ़ा दी है, जिसमें एक आनलाईन कम्पनी आपको रोजगार देगी, किन्तु कब आपको छोड़ दे या अन्य कोई कारण देकर आपका रोजगार खत्म कर दे, इसकी कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं है। इसके लिए वर्तमान में बेरोजगारी का डर युग एवं कार्यशील जनसंख्या को मानसिक रूप से विक्षप्ति कर रहा है। हालांकि किसी समुदाय, समाज, राष्ट्र के विकास का सीधा संबंध आर्थिक उपार्जन एवं सरकार की कल्याणकारी नीतियों से है। क्योंकि बेरोजगारी एवं बेकारी के बढ़ने से नागरिक न तो शिक्षा व ना स्वास्थ्य सुविधाओ तक अपने पहुंच निश्चित कर पा रहे है। जिसके परिणाम वर्तमान भारत की मानव विकास सूचकांक, भारत की रैकिंग समानता एवं बहु–आयामी गरीब सूचकांक में भारत की रैकिंग अफ्रीका व एशिया के पिछड़े राष्ट्रों के साथ है। 21वीं शताब्दी ने जहां तकनीकी प्रौद्योगिकी ने नये आयामों को छूआ है वहीं भारत जैसे विकासशील देश बहु–आयामी गरीबी, बेरोजगारी एवं आकस्मिक गरीबी व बेरोजगारी ने अपना स्थान निश्चित किया है।

निष्कर्ष–

गरीबी एवं बेरोगारी की दोहरी चुनौती भारत के समक्ष नई आर्थिक नीति के लिए वास्तविकता है क्योंकि सतत् विकास लक्ष्यों में उक्त चुनौती से निपटने के 2030 तक का समय दिया है। किन्तु प्रभावी पूंजी प्रवाह एवं दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता को निश्चित करना भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में, जहां प्रशासन व नीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां विकट समस्या के साथ–साथ संघर्ष है। परन्तु वर्तमान केन्द्र सरकार ने मुद्रा ऋण उपलब्धता एवं सूक्ष्म व लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण प्रवाह को प्रभावी बनाया जा रहा है। जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय बैंकों की ग्रामीण बैकिंग ब्रांच एवं मुद्रा बैकिंग सहित अन्य क्षेत्रीय बैंकिंग के माध्यम से पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है, किन्तु एक बड़ी जनसंख्या अशिक्षित व जागरूकता के प्रभाव से ग्रस्त, है तो ऐसे में भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के स्तर पर नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों को आर्थिक स्तर पर बेरोजगारी व गरीबी की नई वास्तविकताओं को केन्द्रित करना नितांत आवश्यक होगा। साथ ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी से संबंधी चुनौतियां एवं ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के प्रभावी क्रियान्वयन को लागू करने के लिए विभिन्न विभाग के बीच अधिक मजबूत सहयोग व समन्वयन के साथ–साथ बेहतर आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रस्तुत समस्या पर शिक्षा जगत द्वारा भी शोध पत्र, सेमिनार, सर्वेक्षण एवं समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में खुले सेमिनार व जागरूकता के आधार सर्वे करना चाहिए, जिससे भारतीय समुदाय में बैकिंग व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा एवं गरीबी, बेरोजगारी जैसी सामाजिक चुनौतियाँ सामूहिक समन्वय समाधान निकल सकेगा।

ग्रन्थ सूची–

1. सेन, अमर्त्य, द्वेज ज्यां, सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं सामाजिक उन्नति भी चाहिए, गार्गी प्रकाशन, न्यू मॉडर्न, शाहदरा, दिल्ली–110032 (2020)
2. सिंह, वी0एन0, सिंह जनमेजय, भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2018।
3- Kapila, Uma, Indian Economy Since Independence, Academic Foundation, New Delhi (2019-2020)
4. कलाम, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल, भारत 2020, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 (2015)

पत्रिका–

1. कुरूक्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार, वर्ष–65, अंक–12, अक्टूबर–10, प्रकाशन विभाग, 56, भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–1100031
2. योजना, शहरीकरण, वर्ष–65, अंक–12, दिसम्बर, प्रकाशन विभाग, 56, भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली–1100031

समाचर पत्र–

1- Times of India
2. दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण)
3- India Express